



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 49-उ०नि०लि०/रिफार्म/विनियम/2011

दिनांक: 11 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 30-03-2011 को सम्पन्न 145वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप एतद्वारा "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद चिकित्सा अधिकारियों की सेवा विनियम, 1994" में निम्नवत् संशोधन/परिवर्धन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विनियम-2- STATUS के अन्तर्गत General Manager (Medical) के पद का समावेश किया जाना	विनियम-2 (5) के बाद निम्नलिखित विनियम 2(6) बढ़ा दिया जायेगा- “(6) General Manager (Medical)”
विनियम-3 - DEFINITION के अन्तर्गत General Manager (Medical) के पद को परिभाषित किया जाना।	विनियम-3 (8) के पश्चात निम्नलिखित विनियम 3(8-ए) बढ़ा दिया जायेगा- “(8-A) General Manager (Medical) means a General Manager (Medical) and includes such other posts of equivalent status as may be notified by the Nigam from time to time and included in the cadre.”
विनियम-5 - SOURCE OF RECRUITMENT के अन्तर्गत General Manager (Medical) पद का भर्ती श्रोत निर्दिष्ट किया जाना।	विनियम-5 (ई) के पश्चात निम्नलिखित विनियम 5-(एफ) बढ़ा दिया जायेगा- “(f) General Manager - By promotion amongst Chief Medical Officers as in (e) above in the manner prescribed in part VI of these regulations”
विनियम-16(2) - CRITERIA FOR PROMOTION के अन्तर्गत General Manager (Medical) के पद पर चयन का आधार परिभाषित किया जाना।	विनियम-16(2) को निम्नवत् परिवर्धित कर दिया जायेगा - “(2) The selection of candidates for promotion to the posts of Chief Medical Officer under Regulation 5(e) and General Manager (Medical) under Regulation 5(f) shall be made on the basis of Merit and suitability in all respects. The procedure of selection and determination of merit and suitability shall be as provided in UP State Electricity Board service of Engineers Regulation-1970 (as amended from time to time)”
विनियम-18- ELIGIBILITY FOR PROMOTION के अन्तर्गत General Manager (Medical) के पद पर चयन हेतु पात्रता शर्तों का निर्धारण किया जाना।	विनियम-18 के पश्चात निम्नलिखित नया विनियम 18-ए जोड़ दिया जायेगा- “18-A. Selection for promotion to the post of General Manager (Medical) shall be made from amongst Chief Medical Officers who have put in 04 years service (including adhoc service) as such on Jul. 1 of the year of selection.”

कमश :2

<p>विनियम-19 DEPARTMENTAL SELECTION COMMITTEE (DSC) के अन्तर्गत General Manager (Medical) के पद पर चयन हेतु विभागीय चयन समिति का निर्धारण किया जाना।</p>	<p>विनियम-19 में शब्द General Manager (Medical) निम्नवत् जोड़ते हुए नया विनियम 19(a) बना दिया जायेगा :- “19. The Departmental Selection Committee for adjudging the suitability of candidates for promotion to the posts of Gynaecologist & obstetrician under regulation 5(c) and Dy. C.M.O. under Regulation 5(d), Chief Medical Officer under Regulation 5(e) and General Manager (Medical) under Regulation 5(f) shall comprise of the following :- (a) <u>For the post of General Manager (Medical)</u> Same as provided in respect of selection from the post of Superintending Engineer to the post of Chief Engineer (Level- II) under the relevant Regulations.” वर्तमान विनियम-19(a) तथा 19(b) का क्रमांक क्रमशः 19(b) तथा 19(c) हो जायेगा।</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 49-(1)-उ0नि0लि0/रिफार्म/विनियम/2011 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष महोदय के स्टाफ आफीसर, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता (स्तर- I)/(स्तर- II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता (स्तर- I)/(स्तर- II), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (निदेशक मण्डल की दिनांक 30-03-2011 को सम्पन्न 145वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-6 के सन्दर्भ में)।
- 9- उप महाप्रबन्धक (मा0सं0-01)/(मा0सं0-02)/(मा0सं0-03)/(मा0सं0-04)/(मा0सं0-05)/(प्रशिक्षण)/(संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- सचिव (विद्युत उत्पादन सेवा आयोग), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- उप महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (वेब साइट पर अपलोड करने हेतु)।

आज्ञा से,



(राजेश गोयल)

अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)